

संख्या डी-12/2/2013/सामान्य

भारत सरकार

वस्त्र मंत्रालय

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)कार्यालय

पश्चिमी खण्ड -7, रामकृष्णपुरम,

नई दिल्ली -110066

दिनांक:05/12/2016


प्रति,

सभी संबंधितों को

विषय: सी-डॉट सिस्टम एवं टेलीफोन / इंटरकॉम के वार्षिक रखरखाव के लिए e-Procurement (CPP Portal) के माध्यम से अनुबंध करने के संबंध में। 2052 आई डी- 2016_DCHC_147062

महोदय,

इस कार्यालय में प्रयोग हो रहे सी-डॉट सिस्टम एवं टेलीफोन / इंटरकॉम आदि की रिपेयर / रखरखाव के लिए वार्षिक अनुबंध किया जाना है, जिनका कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में निरीक्षण किया जा सकता है। आपसे अनुरोध है कि इन उपकरणों के वार्षिक रखरखाव के लिए अपनी दरें CPP-Portal के माध्यम से **On Or Before 27/12/2016** दोपहर 12.00 बजे तक भिजवाने की कृपा करें। प्राप्त निविदाएं इसी दिन साँय 2.30 बजे समिति द्वारा खोली जाएगी। अनुबंध संलग्न नियम एवं शर्तों पर होगा। उक्त निविदा कार्यालय की वैबसाइट WWW.handicrafts.nic.in से डाउनलोड की जा सकती हैं।



(रमेश चन्द)

सहायक निदेशक(सामान्य)

सी-डॉट / ITI-IDB X -128 P इण्टरकॉम सिस्टम एवं टेलीफोन उपकरणों के वार्षिक रखरखाव के अनुबंध हेतु

नियम एवं शर्तें:

1. एजेन्सी का पंजीयन संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
2. नियमानुसार कर संबंधी औपचारिकाताएं गत 2 वर्ष की पूरी की गई, प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करें।
3. निविदा के साथ **Account Officer (Hqrs) O/O The Development Commissioner (Handicrafts), New Delhi** के नाम रुपये 6,000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंक गारण्टी / बैंकर चैक की प्रति प्रस्तुत करें, तथा डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंक गारण्टी / बैंकर चैक फिजीकल रूप में **On Or Before 27-12-2016** को दोपहर 12.00 बजे तक कार्यालय में जमा कराएं अन्यथा इसके बिना निविदा रद्द मानी जाएंगी।
4. सी-डॉट सिस्टम एवं टेलीफोन में लगने वाले अधिकतम पार्ट / तार (सूची संलग्न) की दरें दें।
5. फर्म द्वारा पिछले तीन वर्षों में सरकारी विभागों / पीएसयू में किए गए अनुबंध की प्रति प्रस्तुत करें।
6. सी-डॉट सिस्टम एवं टेलीफोन उपकरणों की देखरेख के लिए **सर्विस मेकेनिक को कार्यालय में प्रतिदिन प्रातः 9.30 बजे से साँय 6.00 बजे तक** उपस्थित रखना होगा। जिसके लिए आईआईटी अथवा अन्य शासकीय संस्था से डिप्लोमा आदि की प्रति प्रस्तुत करें।
7. सी-डॉट सिस्टम एवं टेलीफोन में लगने वाले पार्ट उसी कम्पनी के होने चाहिए जिस कम्पनी के उपकरण हैं तथा निकाले गए पार्ट कार्यालय में जमा करवाने होंगे।
8. निम्न दर अथवा किसी भी दर को निरस्त करने तथा नियम एवं शर्तों में संशोधन करने को अधिकार कार्यालय में सक्षम अधिकारी को होगा।
9. जिस फर्म की दरें अनुबंध हेतु स्वीकृत होंगी, उसे 5 दिन के अन्दर लेखा अधिकारी, मुख्यालय, विकास आयुक्त(हस्तशिल्प) कार्यालय, नई दिल्ली के नाम पर फॉर्मैस सिक्योरिटी हेतु रुपये 10,000/- की एक वर्ष के लिए बैंक गारण्टी / एफ0डी0आर0 / बैंकर चैक प्रस्तुत करनी होगी।
10. भुगतान संतोषजनक कार्य के उपरान्त ही तिमाही आधार पर किया जाएगा।
11. संतोषजनक कार्य न होने पर अथवा नियम एवं शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर किसी भी समय अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा तथा भविष्य में किसी भी अनुबंध के लिए उस फर्म की पात्रता स्वीकार नहीं की जाएगी।
12. भुगतान करते समय बिल में टी0डी0एस0(TDS) काटकर भुगतान किया जाएगा।
13. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
14. किसी विवाद के मामले का दिल्ली न्यायालय में निपटान किया जाएगा।

